



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आषाढ 1948 (श10)
(सं0 पटना 763) पटना, सोमवार, 13 जुलाई 2026

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

13 जुलाई 2026

सं0-एम०-2-02/2026-40—182-बाँकीपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन, 2026- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में बिहार विधान सभा उप निर्वाचन में 85 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और संदर्भित दिव्यांगजन, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिन्हित/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन है, डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होगे, से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या- 52/2026/एसडीआर/खंड-IV दिनांक 09.07.2026 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति में) एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं, और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन है, डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होगे, से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-52/2026/ एसडीआर/खंड-IV दिनांक 09.07.2026 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
माधव कुमार सिंह,
अपर सचिव-सह-
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

9 जुलाई, 2026

सं. 52/2026/एसडीआर/खंड-IV-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और संदर्भित दिव्यांगजन, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिह्नित/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-III के प्रावधानों के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत 06.07.2026 को अधिसूचित बिहार के 182-बाँकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 22-दतिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा गुजरात के 145-मांजलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,
एस.बी. जोशी,
प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

The 9th July, 2026

No.52/2026/SDR/Vol.IV—In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the elector above the age of 85 years and person with benchmark disability as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who requests for voting by postal ballot paper and subject to the verification of his request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give his vote by postal ballot in the **current bye-elections to the 182-Bankipur Assembly Constituency in Bihar, 22-Datia Assembly Constituency in Madhya Pradesh and 145-Manjalpur Assembly Constituency in Gujarat, notified on 06.07.2026**, under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961.

By Order,
S.B.JOSHI,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

9 जुलाई, 2026

सं. 52/2026/एसडीआर/खंड-IV—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध का सत्यापन किए जाने की शर्त के अधीन हैं, इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के साथ पठित, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 1964 (अ.) दिनांक 19 जून, 2020 के जरिए यथासंशोधित, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक, के उपबंधों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत 06.07.2026 को अधिसूचित बिहार के 182-बाँकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के 22-दतिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा गुजरात के 145-मांजलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,
एस.बी. जोशी,
प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

The 9th July, 2026

No.52/2026/SDR/Vol.IV—In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the **Covid-19** suspect or affected person, certified by competent authority, who applies for voting by postal ballot paper, and subject to verification of their request by the Returning Officer concerned, would be a class of persons to give their vote by postal ballot in the **current bye-elections to the 182-Bankipur Assembly Constituency in Bihar, 22-Datia Assembly Constituency in Madhya Pradesh and 145-Manjalpur Assembly Constituency in Gujarat, notified on 06.07.2026**, under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 1964(E), dated 19th June, 2020 read with the directions and guidelines issued by the Election Commission on the subject.

By Order,
S.B.JOSHI,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 763-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>